



2026:AHC-LKO:22566

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10704 वर्ष 2025

अकलीम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह सिविल), लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्ष

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	: मंजूषा कपिल, दिनेश कुमार चौधरी, रोहित कुमार
विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, जो वाद अपराध संख्या 172 वर्ष 2025 से संबंधित है, जिसमें धारा 308(5), 75, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत थाना पचपेड़ा, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवेचक अधिकारी द्वारा की गई जांच में न तो पीड़िता के मोबाइल नंबर के कॉल विवरण प्राप्त हुए हैं और न ही आवेदक के मोबाइल से पीड़िता के कोई फोटो बरामद हुए हैं। अतः सूचना दाता द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि आवेदक पीड़िता को फोन करता था अथवा उसे ब्लैकमेल करता था, प्रथम दृष्टया असत्य सिद्ध होता है। यह भी निवेदन किया गया कि कथित घटना के संबंध में पीड़िता एवं उसके पति के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र/निष्पक्ष गवाह उपलब्ध नहीं है। बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 29.08.2025 को सूचना दाता के पति को दिए गए ₹25,000/- की मांग किए जाने पर, सूचना दाता का पति आक्रामक हो गया और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर आवेदक को बुरी तरह मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 01.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है।

5. तथापि, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

6. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेषकर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है तथा आवेदक दिनांक 01.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. अतः यह आदेशित किया जाता है कि आवेदक अकलीम को उपर्युक्त प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 172 वर्ष 2025 में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा **दो सक्षम जमानतदार** एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

- (i) अपीलकर्ता इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस स्थिति में वह साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आवश्यक आदेश पारित करे।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय के समक्ष तथ्यों का उद्घाटन करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो;
- (iii) अपीलकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (iv) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक उक्त उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) अपीलकर्ता निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण, तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा उचित एवं आवश्यक समझी जाने वाली अन्य शर्तें भी आरोपित की जा सकती हैं।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र तक सीमित हैं तथा उनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक: 31 मार्च, 2026

शुक्ला /-

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।